न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 15 / 348

रामनारायण आत्मज पि0मु0 गणपत जाति बाबाजी (बैरागी) निवासी ग्राम फूलेता तहसील नैनवा जिला बून्दी (मृतक) जरिये कायममुकामान :–

1. कैलाश चन्द आयु 57 वर्ष आत्मज श्री रामनारायण जाति बाबाजी (बैरागी) निवासी ग्राम फूलेता तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
2. महावीर आयु 42 आत्मज श्री रामनारायण जाति बाबाजी (बैरागी) निवासी ग्राम फूलेता तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
3. पथूरी बाई आयु 55 साल पुत्री श्री रामनारायण जाति बाबाजी (बैरागी) निवासी ग्राम फूलेता तहसील नैनवा जिला बून्दी हाल पता पत्नी श्री जगदीश जाति बाबाजी (बैरागी) निवासी ग्राम मोडसा तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
4. कैलाशी बाई पुत्री रामनारायण जाति बाबाजी (बैरागी) निवासी ग्राम फूलेता तहसील नैनवा हाल पता पत्नी श्री हनुमानदास जाति बाबाजी (बैरागी) निवासी ग्राम बाछौला तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
5. धापू बाई पुत्री नारायण जाति बाबाजी (बैरागी) निवासी ग्राम फूलेता तहसील नैनवा हाल पत्नी भैरूदास जाति बाबाजी (बेरागी) निवासी ग्राम कौरमा तहसील नैनवा जिला बून्दी।
6. रसाली बाई पुत्री रामनारायण जाति बाबाजी (बैरागी) निवासी ग्राम फूलेता तहसील नैनवा हाल पत्नी श्री महावीर निवासी सुरेली तहसील उनियारा जिला टोंक ।

———अपीलान्ट

बनाम

1. राजस्थान राज्य द्वारा श्रीमान् तहसील साहब नैनवा जिला बून्दी मंदिर श्री लक्ष्मीनारायण जी महाराज ग्रमा फूलेता तहसील नैनवा द्वारा ग्रामवासी ग्राम फूलेता जरिये :–
2. हजारी लाल आत्मज भूरा जाति दरोगा निवासी ग्राम फूलेता तहसील नैनवा जिला बून्दी
3. हरजी आत्मज भूरा जाति दरोगा निवासी ग्राम फूलेता तहसील नैनवा जिला बून्दी।

———रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री कैलाश गुप्ता, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. पैरोकार सरकार, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

निर्णय दिनांक: 31.10.2018

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नैनवा जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 25.05.2015 के विरूद्ध पेश की गई है ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि प्रार्थीगण रेस्पोडेन्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 212 बाबत् रिसीवर नियुक्ति का प्रस्तुत कर निवेदन किया ग्राम फूलेता तहसील नैनवा में खाता संख्या 127 की हाल खसरा नम्बर 137 रकबा 17 बिस्वा, खसरा नम्बर 138 रकबा 02 बीघा 12 बिस्वा, खसरा नम्बर 139 गै0मु0 चाह रकबा 04 बिस्वा, खसरा नम्बर 234 रकबा 02 बीघा 18 बिस्वा, खसरा नम्बर 235 रकबा 04 बीघा 16 बिस्वाएवं खसरा नम्बर 43/1005 रकबा 12 बिस्वा कुल 06 किता की कुल रकबा 11 बीघा 19 बिस्वा भूमि स्थित है । उक्त भूमि प्रार्थी मंदिर श्री लक्ष्मीनारायण जी महाराज के खाते में दर्ज है। अप्रार्थी क्रम 2 उक्त मंदिर का पुजारी था जिसने अपने पुजारी होने का गलत फायदा उठाकर बन्दोबस्त के अधिकारियों से मिली भगत करके उक्त भूमि पर से प्रार्थी का नाम हटवाकर बिना किसी आधार व अधिकार के उक्त भूमि का अपने अकेले के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करवा लिया । प्रार्थी मूर्ति मंदिर शास्वत नाबालिग है । मंदिर की भूमि को किसी व्यक्ति को रहन रखने का अधिकार नहीं है ।

3. अतः ताफैसला वाद वादग्रस्त आराजी पर रिसीवर नियुक्त किया जावे ।

4. अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त प्रार्थना पत्र को लोक अदालत में रखते हुए अपने निर्णय दिनांक 25.05.2015 के द्वारा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए रहन, बेचान एवं अन्य किसी प्रकार से हस्तान्तरित नहीं करने तथा रिकॉर्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखने हेतु अप्रार्थीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किये जाने का आदेश पारित किया ।

5. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय दिनांक 25.05.2015 से व्यथित होकर अप्रार्थीगण अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में पेशी दिनांक 26.03.2015 को अगामी पेशी दिनांक 27.05.2015 नियत की गई थी किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 25.05.2015 को अपीलान्ट को सूचना दिये बिना ही पत्रावली लोक अदालत में रखी और अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर दिये बिना ही उक्त अपीलाधीन निर्णय पारित कर दिया जो त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में रेस्पोडेन्ट प्रार्थीगण का बयान दर्ज करना भी अंकित किया है किन्तु उनका कोई बयान दर्ज नहीं किया गया है और न ही उनसे जिरह हुई है । इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय पारित किया गया है वह त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 25.05.2015 निरस्त फरमाया जावे ।

6. अपीलान्ट ने अपील मीमो के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलान्ट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश की कोई जानकारी नहीं थी । अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण में आगामी तारीख पेशी दिनांक 27.05.2015 नियत की गई थी परन्तु उससे पूर्व ही दिनांक 25.05.2015 को निर्णय पारित कर दिया । उक्त निर्णय की सर्वप्रथम जानकारी पटवारी हल्का से दिनांक 06.07.2015 को हुई जिस पर उक्त अपीलाधीन निर्णय की नकल प्राप्त कर यह अपील न्यायालय हाजा में पेश की गई है । अतः जानकारी के अभाव में अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जावे ।

7. अपील अपीलान्ट सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

8. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में पेशी दिनांक 26.03.2015 को अगामी पेशी दिनांक 27.05.2015 नियत की गई थी किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 25.05.2015 को अपीलान्ट को सूचना दिये बिना ही पत्रावली लोक अदालत में रखी और अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर दिये बिना ही उक्त अपीलाधीन निर्णय पारित कर दिया जो त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में रेस्पोडेन्ट प्रार्थीगण का बयान दर्ज करना भी अंकित किया है किन्तु उनका कोई बयान दर्ज नहीं किया गया है और न ही उनसे जिरह हुई है । वादग्रस्त आराजी गत 50 वर्षो से अपीलान्ट के पिता स्व0 रामनारायण के खाते एवं कब्जे काश्त में चली आ रही है तथा उन्होंने इस भूमि को किसी प्रकार हस्तान्तरित नहीं किया है । ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय का यह निष्कर्ष दुर्भाग्यपूर्ण है कि प्रतिवादीगण अपने नाम का नामान्तरकरण का नाजायज फायदा उठा सकते हैं । वादग्रस्त आराजी को रहन, बेचान व अन्य से हस्तान्तरित नहीं करने एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखने का आदेश सर्वथा मनमाना आदेश है । इस तरह की प्रार्थना न तो रेस्पोडेन्ट प्रार्थीगण ने की थी और न ही ऐसी परिस्थिति प्रकट हुई थी । इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय पारित किया है वह त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 25.05.2015 निरस्त फरमाया जावे । फर्द के साथ माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल के निर्णय दिनांक 26.03.2018 की प्रति पेश की है ।

9. रेस्पोडेन्ट की ओर से पैरोकार सरकार ने अपनी बहस में निवेदन किया कि भूमि प्रार्थी मंदिर श्री लक्ष्मीनारायण जी महाराज के खाते में दर्ज है। अप्रार्थी क्रम 2 उक्त मंदिर का पुजारी था जिसने अपने पुजारी होने का गलत फायदा उठाकर बन्दोबस्त के अधिकारियों से मिली भगत करके उक्त भूमि पर से प्रार्थी का नाम हटवाकर बिना किसी आधार व अधिकार के उक्त भूमि का अपेन अकेले के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करवा लिया । प्रार्थी मूर्ति मंदिर शास्वत नाबालिग है । अपीलान्ट क्रम 2 प्रार्थी रेस्पोडेन्ट मंदिर की सम्पत्ति कृषि भूमि को बेईमानी से हडप करना चाहता है । इस कारण मंदिर की ओर से ग्रामवासियों द्वारा प्रार्थना पत्र पेश किया गया था । रेस्पोडेन्ट मूर्ति मंदिर को अधिकार प्राप्त है कि वह वादग्रस्त आराजी से अप्रार्थी क्रम 2 का नाम राजस्व रिकॉर्ड से हटवाकर अपने नाम खातेदारी में अंकित किया जावे । अधीनस्थ न्यायालय ने मूर्ति मंदिर जो शास्वत नाबालिग है के हितों की रक्षार्थ उक्त आदेश पारित किया है जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं की है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 25.05.2015 बहाल रखा जावे ।

10. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । हमने सर्वप्रथम अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का अवलोकन किया । अपीलान्ट ने अपने प्रार्थना पत्र में विलम्ब के जो कारण दर्शित किये हैं वह उचित प्रतीत होते हैं । अतः अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 न्यायहित में स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जाता है ।

11. अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर फोटो प्रति नक्शा ट्रेस ग्राम फूलेता संलग्न है । नकल जमाबन्दी संवत् 2049 से 2052 की फोटो प्रति संलग्न है जिसके अनुसार ग्राम फूलेता की कुल 06 किता की 11 बीघा 19 बिस्वा आराजी रामनारायण पि0मु0 गणपत के नाम खामें में दर्ज है । नकल खतौनी जमाबन्दी भू–प्रबन्ध विभाग सवंत् 2028 से 2047 की फोटो प्रति संलग्न है जिसके अनुसार वादग्रस्त आराजी 06 किता की रकबा 11 बीघा 19 बिस्वा भूमि रामनारायण पि0 मु0 गणपत के नाम खाते में दर्ज है । नकल पर्चा खतौनी संवत् 2000 की फोटो संलग्न है जिसके अनुसार वादग्रस्त आराजी मंदिर श्री लक्ष्मीनारायण जी महाराज स्थान देह जरिये पुजारी रामनारायण पि0मु0 गणपत देह मु0बि0क0 जरिये खुदकाश्त दर्ज है । नकल मिलान क्षेत्रफल की फोटो प्रति संलग्न है ।

12. अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थी रेस्पोडेन्ट ने एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 89 एवं 188 का प्रस्तुत किया जिसके साथ एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 का पेश किया था और निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी मंदिर श्री लक्ष्मीनारायण जी महाराज के खाते की भूमि है जिस पर प्रार्थी मंदिर मूर्ति का नाम राजस्व रिकॉर्ड से हटवाकर अप्रार्थी ने अपने अकेले का नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करवा लिया । प्रार्थी मंदिर मूर्ति अवयस्क है जिसके हितों को संरक्षित रखने हेतु वादग्रस्त आराजी पर रिसीवर नियुक्त किया जावे । अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय से प्रार्थी मंदिर मूर्ति का प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए वादग्रस्त आराजी को दौराने वाद रहन, बेचान एवं खुर्द–बुर्द नहीं करने हेतु अप्रार्थीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया है।

13. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में मुख्य रूप के कथन किया है कि उसे अधीनस्थ न्यायालय में सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया है । न्यायालय हाजा में उन्हें सम्पूर्ण सुनवाई का अवसर प्रदान किया है और न्यायालय हाजा द्वारा प्रस्तुत प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण के आधार पर किया जा रहा है ।

14. पत्रावली में उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड के अवलोकन से साबित है कि पूर्व में आराजी मंदिर श्री लक्ष्मीनारायण जी महाराज स्थान देह जरिये पुजारी रामनारायण पि0मु0 गणपत देह मु0बि0क0 जरिये खुदकाश्त दर्ज रही है । मंदिर मूर्ति शास्वत नाबालिग है जिसके हितों को संरक्षित रखने का दायित्व न्यायालयों का भी है ।

15. प्रस्तुत प्रकरण में पक्षकारान के स्वत्व एवं अधिकारों का निर्धारण मूल वाद में तय होगा अभी अस्थायी निषेधाज्ञा की स्टेज पर हमे केवल यह देखना है कि प्रथमदृष्टया प्रकरण किसके पक्ष में है तथा सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति होने की संभावना किसके पक्ष में है । प्रस्तुत प्रकरण में वादग्रस्त आराजी अपीलान्ट प्रतिवादी के खाते में दर्ज है व प्रार्थी रेस्पोडेन्ट जो कि मूर्ति मंदिर है की ओर से हक, घोषणा का दावा पेश किया गया है। प्रार्थी मंदिर मूर्ति शास्वत नाबालिंग है जिसके हितों को संरक्षित रखना न्यायालयों का भी दायित्व है । ऐसी स्थिति में प्रथमदृष्टया प्रकरण प्रार्थी रेस्पोडेन्ट के पक्ष में है । अप्रार्थीगण अपीलान्ट ने यदि दौराने वाद उक्त भूमि को रहन, बेचान एवं अन्य किसी प्रकार से अन्तरण कर दिया तो प्रार्थी रेस्पोडेन्ट को

अपूर्णीय क्षति होगी जिसकी पूर्ति किसी भी प्रकार से संभव नहीं होगी । ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय ने मूर्ति मंदिर के हितों को संरक्षित रखते हुए निर्णय पारित किया है जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि किया जाना प्रतीत नहीं होता है । हम अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझते हैं ।

16. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 25.05.2015 बहाल रखा जाता है ।

17. निर्णय आज दिनांक 31.10.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

31.10.18

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा